

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 133 / 2 इंक थू
सेवा में,

दिनांक 17/01/2025

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पर्यो मोटर मार्ग निर्माण का दाबू हड़ाप तक विस्तार में प्रभावित होने वाली 6.060 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/283/2015/एफ0सी0/2229 दिनांक 19.02.2019

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये हैं। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तों के अनुपालन आख्या

क्र0स0	शर्त	अनुपालन का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 12.120 है0 बगडुंगरा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 12.120 है0 ग्राम बगडुंगरा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू0 40,86,670.00 मात्र (रू0 चालीस लाख छियासी हजार छः सौ सत्तर मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR52021062129415992 Dtd 21.06.2021 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 12.120 है0 ग्राम बगडुंगरा का तहसीलदार कपकोट के पत्रांक-71/ र0का0 /कपकोट/2014-15 दिनांक 09.01.2015 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5-3 / 2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. SBINR52021062129415992 Dtd 21.06.2021 द्वारा रू0 39,81,420.00 मात्र (रू0 उनतालीस लाख इकासी हजार चार सौ बीस मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)। तथा एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि UTR No- SBIN224244231061 dtd 31.08.2024 द्वारा रू0 21,10,153.00 जमा की जा चुकी है तथा (चालान की प्रति संलग्न)।

3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियों (CA cost, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति कके रूप में मान्य नहीं होगी।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. SBINR52021062129415992 Dtd 21.06.2021 द्वारा रू0 40,86,670.00 मात्र (रू0 चालीस लाख छियासी हजार छः सौ सत्तर मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)। तथा एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि UTR No-SBIN224244231061 dtd 31.08.2024 द्वारा रू0 21,10,153.00 जमा की जा चुकी है तथा (चालान की प्रति संलग्न)।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	State Govt may upload the project authority DPR details on website portal of forest clearance so that the muck dumping plans, their structure and reclamation plan are in public domain.	DPR Details which contain muck dumping plans, their structure and reclamation plan are uploaded in additional information at Part-I.

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न- सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय,

अधिशाली अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0

बागेश्वर

डिस्पेंसर
17/11/2025

(Handwritten Signature)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/२८३/२०१५/एफ०सी०/२२११

दिनांक: 19/02/2019

Attested

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लॉनि०वि०
बागेश्वर

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद-बागेश्वर में हरिनगरी पर्यां मोटर मार्ग निर्माण का दाबू हड़ाप तक विस्तार हेतु 6.060 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10042/2015).

सन्दर्भ : अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-
204 /FP/UK/ROAD/10042/2015 दिनांक 19.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10042/2015 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव को Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 23.07.2018 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा प्रस्ताव को पारित करते हुए वांछित आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद -बागेश्वर में हरिनगरी पर्यां मोटर मार्ग निर्माण का दाबू हड़ाप तक विस्तार हेतु 6.060 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 12.120 है० बगडुंगरा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. may upload the project authority DPR detailed on website portal of forest clearance so that the muck dumping plans, their structures and reclamation plan are in

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुबद्ध समाप्त परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 12.120 है० बगडुंगरा सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
8. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 372 (345 वृक्ष एवं 27 Sapling) से अधिक न हो।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लॉजिस्टिक्स
बागेश्वर

भवदीया
24/02/19
(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक



उत्तराखण्ड शासन
फोन/फैक्स नं०-05963-220006

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० बागेश्वर।



E-mail id- pdpwwbgr@gmail.in

पत्रांक / केश

दिनांक 30/8/2024

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक
बागेश्वर।

विषय :- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर के नाम आहरित धनराशि को उत्तरांचल कैम्पा में NEFT/RTGS करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि एस०सी०पी० के अन्तर्गत बागेश्वर में हरिनगरी पैया मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार (10 किमी०) वनभूमि हे० 6.060 कार्य हेतु अतिरिक्त एन०पी०वी० धनराशि जमा करने हेतु कोषागार बागेश्वर से प्राप्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर के नाम बैकर्स चैक सं०- 640373 दिनांक 02.07.2024 रू० 21,10,153.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं०- 150896110042434 IFSC Code- UBIN0996335 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें।

संलग्न :- बैकर्स चैक सं०- 640373 दिनांक 02.07.2024 रू० 21,10,153.00 मात्र मूल में।

(इ० धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर।

पत्रांक :- 2390 / केश, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, सहायक अभियन्ता प्रभारी, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि, वनभूमि सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर।

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

30/8/24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर।

30/8/24


एरिमाती पमां गो नो नो लो डाकू एडो वं तं विहाय (10/10/24)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया



Union Bank
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-08-2024

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110042434
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/283/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	2110153/-

Amount in Words : Twenty-One Lakh Ten Thousand One Hundred and Fifty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110042434 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया



Union Bank
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-08-2024

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110042434
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/283/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	2110153/-

Amount in Words : Twenty-One Lakh Ten Thousand One Hundred and Fifty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110042434 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UBIN224244231061

30/8/24
30/8/24
PROV. DIVISION P.W.D.
BAGESHWAR



Attested
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfo_bageshwar03@gmail.com

दूरभाष/फैक्स नं० : 05963-220249 फैक्स नं० 05963-220209



पत्रांक 4235 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 15/03/2024
सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०विभाग,
बागेश्वर।

विषय -- जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग निर्माण का दाबू हड़ाप तक विस्तार हेतु 6.060 है० वन भूमि में अतिरिक्त एन०पी०वी० धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : -- सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र क्रम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन०पी०वी० की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के क्रम में उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2019 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पाँच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र० सं०	मद	क्षेत्रफल	ई०को० क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन०पी०वी०	6.060 है०	5	0.3	1005210.00	60,91,573.00	39,81,420.00	21,10,153.00
कुल योग						60,91,573.00	39,81,420.00	21,10,153.00


A.E.O/वनप्रति वि०
19/03/2024

Attested
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

(उमेश चन्द्र तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-06-2021

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110042054
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/283/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	8068090/-


Amount in Words : Eighty Lakh Sixty-Eight Thousand and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896110042054 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-06-2021

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110042054
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/283/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	8068090/-

Amount in Words : Eighty Lakh Sixty-Eight Thousand and Ninety Rupees Only



NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896110042054 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com



Attested

5BINR52021062129415992

Executive Officer
Provl. Div.सहायक आयुक्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोडि रोड
नयी दिल्ली

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfobageshwar03@gmail.com

दूरभाष / फैंक्स नं० : 05963--220249 फैंक्स नं० 05963--220209



पत्रांक 2442 / 121-2 बागेश्वर, दिनांक : 11/02/2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०विभाग,
बागेश्वर।

विषय --

जनपद बागेश्वर में हरिनगरी-पर्यो मोटर मार्ग का दाबूहड़ाप तक विस्तार हेतु 6.060 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (10042/2015)

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/06/283/2015/एफ०सी०/2229 दिनांक 19.02.2019।

2. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक --972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 के द्वारा निर्धारित दरों के क्रम में वर्ष 2020-21 के वसूली वर्ष हेतु किया गया है। अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र०सं०	मद	क्षेत्रफल	ई०को० क्लास	धनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन०पी०वी०	6.060 है०	5	0.3	6,57,000.00	39,81,420.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	12.120 है०	"--"	"--"	3,37,184.00	40,86,670.00

भवदीय,

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

Amal
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

आदेश

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत हरिनगरी पंथ्या मोटर मार्ग निर्माण का दाबू-हड़ाप तक विस्तार हेतु 06.060 है० वन भूमि को लोक निर्माण विभाग बागेश्वर को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या: 08बी/ यू०सी०पी०/०६/२८३/२०१५/एफ०सी०/२२२९ दिनांक १९.०२.२०१९ से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृत के क्रम में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर की आख्या दिनांक २१ नवम्बर, २०२४ से जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत हरिनगरी पंथ्या मोटर मार्ग निर्माण का दाबू-हड़ाप तक विस्तार/निर्माण में प्रयुक्त ०६.०६० है० वन भूमि की दुगुनी १२.१२० है० भूमि, जो ग्राम बगडुंगरा, तहसील बागेश्वर के गैर ज० वि० ख० खा० संख्या-१० श्रेणी ९(३) ख में दर्ज खसरा संख्या-५५४ रकवा ०.९०३ है०, ५५५ रकवा ०.९१५ है०, १२०३ रकवा ०.४४४ है०, १२२७ रकवा ०.३१३ है०, १२२८ रकवा ०.११० है०, १२२९ रकवा ०.५९३ है० तथा इसी प्रकार गैर० ज० वि० श्रेणी १०(४) बंजर नाकाबिल आबाद के खाता संख्या-२६ में दर्ज खेत संख्या-४ रकवा ०.३३९ है०, खेत संख्या-१६२ रकवा ०.०१० है०, खेत संख्या-३३० रकवा ०.१६४ है०, ३७४ रकवा ०.२९४ है०, ३७८ रकवा ०.३७५ है०, ५५७ रकवा ०.३७० है०, ५५८ रकवा ०.७५० है०, ५५९ रकवा ०.७०५ है०, ५७२ रकवा ०.१८५ है०, ११८५ रकवा ०.८६८ है०, ११९० रकवा ०.६८८ है०, ११९१ रकवा ०.५६५ है०, ११९२ रकवा ०.७७९ है०, ११९३ रकवा ०.७५० है०, ११९४ मध्ये रकवा ०.५२४ है० मध्ये कुल १२.१२० है० भूमि का प्रस्ताव क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराया गया है।

अतः शासनादेश संख्या: २१७३/खवि०(११)/२०१२-१८(१२०)/२०१० दिनांक १७ दिसम्बर, २०१२ तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक १९.०२.२०१९ में निहित शर्तों के अधीन उक्तानुसार चिन्हित/प्रस्तावित कुल भूमि १२.१२० है० को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या: ६१/छब्बीस-३३वन(१२-१३)/२०२४-२५ दिनांक ०२/०१/२०२५
प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :-

०१. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
०२. उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।
०३. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
०४. तहसीलदार, बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण-पत्र सहित वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

Accepted

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।



वन विभाग बागेश्वर

EX-EMP

15
कृपया ठीक करके

कार्यालय तहसीलदार, कपकोट।

संख्या :- 71 / र०का / कपकोट / 2014-15 / दिनांक 09/01/2015

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर।**विषय- वन भूमि प्रस्तावों को on line करने के सम्बन्ध में**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 2336/2 ई०व०भू० दिनांक दिसम्बर, 22 2014 जो जिलाधिकारी बागेश्वर को सम्बोधित हैं, का सन्दर्भ गृहण करने का कष्ट करें। प्रकरण में जिलाधिकारी बागेश्वर के पृष्ठांकन आदेश सं० 1200/ छब्बीस-वन/2014-15 दि० 24.12.2014 के क्रम में पत्र में उल्लिखित तहसील कपकोट से सम्बन्धित क.सं. 1, 4, 5, 6, 7 एवं 8 में उल्लिखित मोटर मार्गों के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल की खतौनी राजस्व उप निरीक्षक, कर्मी, लोहारखेत एवं शामा से प्राप्त हैं, संलग्न कर प्रेषित हैं।

अतः उक्तानुसार वांछित खतौनी प्रेषित हैं।

संलग्नक :- 03 किता।


तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी बागेश्वर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।


तहसीलदार
कपकोट।

वन भूमि प्रस्ताव

22-11-15
16/11

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

कपकोट प्रान्तीय खण्ड

By
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

Attested

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में हरिनगरी-पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार में प्रभावित होने वाली 6.06 हैक्टेयर वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु दुगुने अर्थात् 12.120 हैक्टेयर में वनीकरण हेतु वन विभाग द्वारा ग्राम बगडुंगरा तहसील बागेश्वर की सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। उक्त भूमि वनीकरण हेतु उपयुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या 26 में दिया गया है।

उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व की है एवं राजस्व अभिलेखों में खाता संख्या 10 के अन्तर्गत श्रेणी 9(3) ख - अन्य वन में दर्ज है। यह भूमि शासनादेश संख्या 759(1)/ XVII (2)/ 2009 दिनांक 20.03.2010 द्वारा लैन्ड बैंक के अन्तर्गत अनुमोदन उपरान्त जिला अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक 558/ 26- वन / 2010-11 दिनांक 02.07.2010 के अनुसार (प्रति संलग्न) वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित कर दी गयी है। उक्त भूमि मध्ये तहसीलदार द्वारा 12.120 हैक्टेयर की खतौनी दी गयी है, जो संलग्न है।

संलग्न- उक्तानुसार

Attested

सहायक आयुक्त
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिसासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर 680416

1.10
कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या- 558/छब्बीस-वन/2010-11 दिनांक: 02 जून 2010
जुलिया

कमल

MOU

सेवामें

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
बागेश्वर।।

विषय:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक पर अपने कार्यालय के फैक्स पत्र संख्या- 223/2 ई0व0भू0 दिनांक: 02 जुलाई,2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जनपद में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि जनपद के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित तहसीलवार कुल भूमि- 1402.678 है0 की सूचना/स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या- 172/छब्बीस-वन/2008-09 दिनांक: 02 फरवरी,2009 से शासन को प्रेषित की गई थी, जिसकी स्वीकृति शासन ने अपने पत्र संख्या- 759 (1) / xviii (2)/2009 दिनांक: 20 मार्च,2010 के माध्यम से प्रदान की थी, किन्तु चिन्हित भूमि का स्थलीय कब्जा वन विभाग को देते समय तहसील गरुड़ के अन्तर्गत 0.982 है0 भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। वर्तमान में 0.982 है0 भूमि को चिन्हित भूमि से पृथक कर लिया गया है, तदनुसार 1265.676 है0 भूमि वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित की जा चुकी है, शेष तहसील गरुड़ एवं काण्डा में चिन्हित भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया इस स्तर पर गतिमान है। जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जावेगी।

Attached

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रभारी अधिकारी,

कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

प्रतिलिपि प्रमागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर को अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 बागेश्वर के उक्त फैक्स पत्र संख्या जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या- 552/छब्बीस-वन/2010-11 दिनांक: 29 जून,2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें के कम में इस आशय के साथ प्रेषित की उक्तानुसार शेष भूमि को अपने प्रशासनिक नियन्त्रण में लेते हुए इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया इस कार्य को प्राथमिकता से लें।

प्रभारी, अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

Stene

28.7.10
E/S

कृते जिलाधिकारी

By

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर 28/7/10

कृते जिलाधिकारी

By

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

Stene

परियोजना का नाम:- एस०सी०पी० के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी
पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

पत्र सं. ५३

५३

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त/ अन्तरीय धनराशि भी उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

Attested

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी
पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

(28)

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े
स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

मोटर मार्ग विस्तार प्रमाणित करने के लिए प्रस्तावित है यह प्रमाणित
है (21/11/2017)

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

Attested

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर